UPSI010089722022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, सीतापुर।

उपस्थित– विजय कुमार आजाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दीवानी निगरानी संख्या–70/2022

सी०आई०एस० नं०–70 /2022

देशराज उम्र 38 वर्ष पुत्र नत्थू निवासी ग्राम नयागाँव परगना औरंगाबाद, तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी। .....निगरानीकर्ता।

बनाम

1– पुष्प कुमार आयु 39 वर्ष

2– सरल कुमार आयु 34 वर्ष

3– विमल कुमार आयु 32 वर्ष

4– प्रशान्त कुमार आयु 30 वर्ष पुत्रगण स्व० मदन लाल सर्वनिवासीगण कस्बा मैगलगंज परगना औरंगाबाद, तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी।

5– श्रीमती पुष्पा मिश्रा पुत्री स्व० मदनलाल पत्नी श्री सुरेश मिश्रा निवासिनी मोहल्ला लोधीपुर, पुत्तन चक्की वाली गली शाहजहांपुर, जिला शाहजहांपुर(उ०प्र०) पिनकोड 242001।

6– महेन्द्र कुमार आयु लगभग 34 वर्ष पुत्र नत्थू निवासी नयागाँव परगना औरंगाबाद, तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी। .....उत्तरदातागण।

निर्णय

यह सिविल निगरानी, प्रतिवादी/निगरानीकर्ता देशराज की तरफ से प्रकीर्ण दीवानी वाद संख्या 14/2022 देशराज बनाम पुष्प कुमार आदि में विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन), सीतापुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित् 31.10.2022 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

मैनें निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

निगरानीकर्ता की ओर से यह आधार दर्शित किये गये हैं कि निगरानीकर्ता ने उपरोक्त वाद में एक प्रार्थना पत्र 18 ग 1/1 व 18 ग 2/2 इस आशय का प्रस्तुत किया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री जिस भूमि के प्रति पारित हुई है, उसकी चौहददी भी मौके पर मौजूद नहीं है और वाद भूमि का कोई नम्बर भी वाद पत्र में या आदेश में नही दर्शाया गया है। मुझ निगरानीकर्ता द्वारा यह भी कहा गया कि वादीय सम्पत्ति गाटा संख्या 40 स्थित ग्राम नादन परगना चण्डरा तहसील महोली जिला सीतापुर व गाटा संख्या 1241 स्थित ग्राम लिधियाई परगना औरंगाबाद तहसील मितौली जिला खीरी में स्थित है और यह भूमि मुझ निगरानीकर्ता के नाम राजस्व अभिलेखों में अर्सा दराज से दर्ज चली आती है और वह उसका मालिक है और यह भूमि डिक्रीदार या विपक्षीगण या उनके पूर्वजो के नाम राजस्व अभिलेखों में कभी भी दर्ज नहीं हुई और

इस सम्पत्ति का जिक्र वाद पत्र या डिक्री में विपक्षीगण के कथनानुसार नहीं किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र में व उसके साथ संलग्न पूरक प्रार्थनापत्र में यह भी कहा गया कि वाद भूमि गाटा संख्या 1241 जिला लखीमपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है, उसके विषय में पारित डिक्री जो सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सीतापुर द्वारा पारित की गयी, वह बिना क्षेत्राधिकार के है और जिसकी इजराय वैधानिक रुप से होना सम्भव नहीं है। मुझ निगरानीकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र में यह तथ्य भी कहे गये कि धारा 47 के प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु गाटा संख्या 40 व 1241 का लोकेशन भी सर्वे कमिश्नर द्वारा कराया जाना वैधानिक आवश्यकता है। निम्न न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का उपरोक्त प्रार्थनापत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब आपत्ति 20 ग 1 में यह तथ्य स्वीकार किये है। वादीय सम्पत्ति गाटा संख्या 40 में आती है, किन्तु फिर भी गाटा संख्या 1241 के विषय में बिना कुछ कहे हुए निम्न न्यायालय ने प्रार्थनापत्र सर्वे कमीशन निगरानीकर्ता का खारिज कर दिया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 31.10.2022 निम्न आधार पर खारिज जाने योग्य है। निम्न न्यायालय की विपक्षिनी श्रीमती कान्ती का देहान्त चुका है, उनके वारिसान पहले से पक्ष मुकदमा है।

आधार निगरानी

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश वाद से सम्बन्धित तथ्य, परिस्थितियों व कानून के विपरीत है और यदि इसे निरस्त न किया गया तो मुझ निगरानीकर्ता को असीम क्षति होगी। निम्न न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का सही तरह से प्रयोग न करने में विधिक त्रुटि की है और इस आधार पर भी निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। सर्वे कमीशन के द्वारा यह तथ्य न्यायालय के समक्ष पूर्णतया साबित हो जाते कि वाद भूमि गाटा संख्या 40 व गाटा सॅख्या 1241 में आती है या नहीं और इसे निम्न न्यायालय बिना देखे हुए आदेश दिनॉकित 31.10.2022 पारित करने वैधानिक त्रुटि की है। निम्न न्यायालय का आदेश यदि निरस्त न किया गया तो निगरानीकर्ता उस भूमि से भी बेदखल हो जायेगा, जिसका मालिक और जो राजस्व अभिलेखों में भी निगरानीकर्ता के नाम विफल अर्सा दराज से दर्ज चली आती है और जिस पर वैधानिक तरह से निगरानीकर्ता काबिज है। डिक्रीदार न तो गाटा संख्या 40 व गाटा संख्या 1241 का दर्ज खातेदार ही है और न वह उक्त सम्पत्ति पर कभी काबिज ही रहा और जिसके विषय में निम्न न्यायालय द्वारा कोई डिक्री भी पारित नहीं की गयी और जिसकी शिनाख्त भी निम्न न्यायालये की पत्रावली पर मौजूद नहीं है और फिर भी निम्न न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को पत्रावली पर न लिये जाने में विधिक त्रुटि की है और डिक्रीदार को जिसका फायदा मिल सकता है, जानते हुए भी आदेश दिनाँकित 31.10.2022 वैधानिक रूप से पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानीकर्ता की प्रार्थना है कि न्यायालय की पत्रावली तलब करके पक्षकारों को सुनने के पश्चात् निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 31.10.2022 निरस्त फरमाया जाये व निम्न न्यायालय को प्रार्थनापत्र 18 ग 1 व 18 ग 2 पर गुण–दोष के आधार पर पुनः आदेश पारित किये जाने का निर्देश दिया जाये।

उत्तरदातागण/विपक्षीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश विधि अनुसार पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है और पुष्ट होने योग्य है।

मैनें प्रश्नगत् आदेश एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि देशराज ने पुष्प कुमार के विरुद्ध यह दीवानी प्रकीर्ण वाद संख्या 14/2022 देशराज बनाम पुष्प कुमार आदि, आपत्ति अन्तर्गत धारा 47 सी०पी०सी० प्रस्तुत की है। उक्त पत्रावली में कागज संख्या 18 ग प्रार्थनापत्र एडवोकेट कमीशन

कराये जाने के लिये देशराज द्वारा दिया गया है, जिसकी आपत्ति 20ग के आधार पर अवर न्यायालय ने 18ग प्रार्थनापत्र आदेश दिनाँक 31.10.2022 को निरस्त कर दिया है। उक्त आदेश के विरुद्ध यह दीवानी निगरानी दाखिल की है।

दीवानी मूल वाद संख्या 424/2007 मदनलाल आदि बनाम देशराज आदि की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मदन लाल आदि ने प्रतिवादीगण देशराज आदि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दायर किया। प्रतिवादीगण को बारम्बार अवसर देने के उपरान्त उनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी और अन्ततः पत्रावली में दाखिल साक्ष्य के आधार पर अवर न्यायालय ने वादी का दावा एकपक्षीय रूप से आंशिक रूप में, आदेश दिनाँक 18.01.2012 से अज्ञप्त किया है। उभयपक्ष को यह तथ्य भी स्वीकार है कि उक्त एकपक्षीय आदेश दिनाँक 18.01.2012 को निरस्त कराने के लिये आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० में प्रकीर्ण वाद दर्ज किया गया था, परन्तु उक्त वाद भी गुण–दोष पर खारिज किया गया और उक्त आदेश के विरुद्ध कोई रिवीजन/अपील किसी भी सक्षम न्यायालय में संस्थित नहीं की गयी है अर्थात् अवर न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री एवं आदेश दिनाँक 18.01.2012 अनंतिम हो गया।

निगरानीकर्ता देशराज प्रस्तुत मामले में भी पक्षकार थे और उन्होंने धारा 47 सी०पी०सी में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए इजराय कार्यवाही के प्रार्थनापत्र को निरस्त करने की प्रार्थना की है और इसी पत्रावली में एडवोकेट कमीशन के माध्यम से वाद पत्र में वर्णित सम्पत्ति जिसमें सम्पूर्ण भूमि का रकबा 1530 वर्ग फुट एवं चौहद्दियों से प्रमाणित किया है, को मौके पर चिह्नित करने के लिये प्रार्थना की है।

अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पत्रावली में 16ग कमीशन आख्या एवं नक्शा दाखिल है, जिसमें वाद पत्र में वर्णित सम्पत्ति को प्रदर्शित किया गया है। उक्त कमीशन आख्या के विरुद्ध प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है और वह कमीशन आख्या साक्ष्य के अधीन सम्पुष्ट की गयी है। कमीशन आख्या का उल्लेख अवर न्यायालय ने अपने आदेश दिनाँक 18.01.2012 को किया है और वादी की सम्पत्ति मौके पर शिनाख्त योग्य पाते हुए वादी का दावा डिक्री किया है।

मूल वाद दिनाँक 18.01.2012 को एकपक्षीय आज्ञप्त होने के उपरान्त उसका पुर्नस्थापना प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० में निरस्त होने और उसके विरुद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में याचिका योजित न करने पर उक्त आदेश अंतिम हो गया है और उसी आदेश के अनुपालन में मदनलाल आदि के वारिसान/वादीगण इजराय कार्यवाही करने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जिसे देशराज ने धारा 47 की आपत्ति प्रस्तुत करके इसके निस्तारण तक इजराय की कार्यवाही को लम्बित कर दिया है। मूल वाद वर्ष 2007 से 2012 तक, 05 वर्ष लम्बित रहा, जिसमें प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये और उनके विरुद्ध दावा एकपक्षीय रूप से वादी के पक्ष डिक्री किया गया और इजराय कायवाही प्रारम्भ होने पर देशराज आदि ने धारा 47 सी०पी०सी की आपत्ति प्रस्तुत करके मौके पर अमीन कमीशन भेजे जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके इजराय कार्यवाही लम्बित कर दी है, जबकि मूल वाद में उन्होंने उपस्थित होकर वादीय पक्ष के स्वामित्व एवं कब्जे को कोई चुनौती नहीं दी है।

वाद पत्र में वर्णित भूमि को वादी के पूर्वज मदनलाल ने छोटेलाल से बजरिये पंजीकृत बैनामा दिनाँक 09.09.1997 से क्रय किया था। बैनामा की मूल प्रति पत्रावली पर दाखिल है, जिसमें 1530 वर्ग फुट उसकी चौहद्दी बैनामा में वर्णित है। क्रय किये जाने की दिनाँक से वादी उक्त भूखण्ड का स्वामी व काबिज है। इसके खण्डन में प्रतिवादीगण ने कोई परिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं की है और इस बैनामा को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है और न ही उक्त पंजीकृत बैनामा अभी तक खण्डित किया गया है और खण्डन की कोई सूचना

पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इजराय कार्यवाही में आपत्ति अन्तर्गत धारा 47 सी०पी०सी में कमीशन कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि मूल वाद में कमीशन आख्या जिस पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है, वादीय सम्पत्ति में वर्णित चौहद्दी के आधार पर वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया गया है और वादी ने अपना दावा परिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त मौखिक साक्षी पी०डब्ल्यू० 1 विमल कुमार मिश्रा, पी०डब्ल्यू० 2 जगदीश व पी०डब्ल्यू० 3 हरि के साक्ष्य शपथपत्र से पूर्णतः साबित किया है, जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये हैं और उनके द्वारा मूल वाद में कोई परिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अवर न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण दीवानी वाद संख्या 14/2022 देशराज बनाम पुष्प कुमार आदि में प्रार्थनापत्र 18ग पर पारित आदेश दिनाँक 31.10.2022 पूर्णतः विधिक है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत् आदेश पारित करने में कोई तात्विक अनियमितता, क्षेत्राधिकार, विधि या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि कारित नहीं की है। प्रस्तुत दीवानी निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रश्नगत दीवानी निगरानी संख्या 70/2022 देशराज बनाम पुष्प कुमार आदि निरस्त की जाती है।

अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 31.10.2022 सम्पुष्ट किया जाता है।

पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष लम्बित् वाद की कार्यवाही में भाग लेने हेतु दिनाँक 02.07.2026 को उपस्थित हो।

निर्णय की एक प्रति सम्बन्धित अवर न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक–20.05.2026

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4,
सीतापुर।
J.O.Code: UP6013

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक–20.05.2026

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4,
सीतापुर।
J.O.Code: UP6013